



प्रेसविज्ञप्ति

04.12.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना ज़ोनल कार्यालय ने संजीव हंस, आईएएस और अन्य के खिलाफ धन-शोधन मामले में 03.12.2024 को दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता, जयपुर, नागपुर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। संजीव हंस के करीबी सहयोगियों और रियल एस्टेट और सेवा क्षेत्र में लगे अन्य पक्षों के परिसरों में उक्त मामले से जुड़ी धन-शोधन प्रक्रियाओं में उनकी संलिप्तता के लिए तलाशी ली गई।

ईडी की जांच से पता चला है कि संजीव हंस ने बिहार सरकार में विभिन्न प्रमुख पदों पर रहते हुए और केंद्रीय प्रतिनियुक्तियों के दौरान भी भ्रष्ट आचरण में लिप्त होकर अपराध से धन अर्जित किया है। गुलाब यादव और अन्य सहयोगियों ने भ्रष्ट आचरण से अर्जित अवैध धन को सफेद करने में संजीव हंस की सहायता की है।

इसके अलावा, इस मामले की जांच में कुछ प्राइवेट व्यक्तियों की संलिप्तता भी सामने आई, जो भ्रष्ट तरीकों से गलत तरीके से अर्जित धन के अर्जन और शोधन में संजीव हंस की सहायता करते थे। इसलिए, 3/12/2024 को 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान, संजीव हंस के एक करीबी सहयोगी (वर्तमान में इस मामले में न्यायिक हिरासत में) के परिवार के सदस्यों के नए खोले गए डीमैट खातों में 60 करोड़ रुपये के शेयर पाए गए हैं। इसके अलावा उनके परिसरों से 70 बैंक खातों का ब्योरा मिला है, जो ऐसा प्रतीत होता है कि अपराध की आय को इकट्ठा करने और शोधन करने और अस्पष्टीकृत नकदी को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने लगभग 18 करोड़ रुपये का फंड रियल एस्टेट में निवेश किया और इस तरह के सौदों में भारी मात्रा में नकदी छुपाने के संबंध में सबूत भी जुटाए गए हैं। तलाशी अभियान के दौरान, डीमैट खातों में 60 करोड़ रुपये (लगभग) के शेयर अन्य लोगों के परिसरों से 16 लाख रुपये (लगभग) और 23 लाख रुपये (लगभग) नकद बरामद किए गए और जब्त किए गए। इसके अलावा, भ्रष्टाचार के दृष्टिकोण से जुड़े विभिन्न सबूत (भौतिक/डिजिटल) भी बरामद कर जब्त किए गए।

इसके अलावा, यह उल्लेख करना उचित है कि इससे पहले इस मामले में पटना, दिल्ली, कोलकाता, पुणे, मुंबई, हरियाणा और पंजाब में विभिन्न स्थानों पर पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के

तहत तलाशी ली गई थी, जिसमें संजीव हंस के परिसरों से क्रमशः 80 लाख रुपये और 70 लाख रुपये मूल्य के सोने के आभूषण और लकजरी घड़ियां मिलीं और उन्हें जब्त कर लिया गया और उनके सहयोगियों के परिसरों से 87 लाख रुपये की अघोषित नकदी , 13 किलोग्राम चांदी की ईंटें(लगभग 11 लाख रुपये मूल्य की) और 1.5 किलोग्राम सोने की ईंटें और आभूषण ( लगभग 1.25 करोड़ रुपये मूल्य की ) भी बरामद कर जब्त की गई हैं।

आगे की जांच जारी है।